सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता : भारत की दावेदारी

डॉ. एल.एन. नागौरी

विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
एस.बी.के.राजकीय महाविद्यालय,जैसलमेर

राष्ट्र संघ की परिषद अनेक संगठनात्मक एवं प्रक्रियात्मक खामियों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रही, राष्ट्र संघ की असफलता से अर्न्तराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु पुनः एक और अधिक प्रभावी संगठन की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गयी किन्तु साथ ही इस यथार्थ का भी अहसास हुआ कि विश्व में कुछ सर्वाधिक सक्षम एवं सशक्त राज्य है। जो विश्व राजनीति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित, संचालित एवं संतुलित करते रहते है एवं भविष्य में भी विश्वशांति एवं सुरक्षा इन देशों के सहयोग एवं सामंजस्य पर ही निर्भर करेगी अतः प्रस्तावित नये संगठन में इनकी विशेष भूमिका होनी ही चाहिए। (डम्बर्टन ऑक सम्मेलन में सीमित सदस्य संख्या वाली कार्यपालिका जैसे अंग की कल्पना की गयी जिसका प्राथमिक दायित्व 'विश्वशांति की सुरक्षा' हो) तत्पश्चात सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग बना दिया गया जिसमें 5 महाशक्तियों 1.सोवियत संघ 2. संयुक्त राज्य अमेरिका, 3.ग्रेट ब्रिटेन, 4. फ्रांस एवं 5.चीन को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाकर विश्व संगठन एवं विश्व राजनीति में विशिष्ठ दर्जा प्रदान कर उनके निषेधाधिकार एवं विशेषाधिकारों को व्यावहारिक व विधिक मान्यता प्रदान करते हुए उनके विशिष्ठ प्रस्थिति एवं भूमिका को स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद राष्ट्रसंघ की परिषद का परिष्कृत रुप मानी जा सकती है लेकिन इस नवस्थापित अभिकरण की अनेक विलक्षणताएं इसको मौलिक स्वरुप प्रदान करती है। मूल चिन्तन में सुरक्षा परिषद को महासभा से भी ज्यादा प्रभावी बनाया गया था, एक तरफ जहां महासभा विश्व जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली तथा विश्व संसद सदृश्य संगठन माना जाता है वहीं सुरक्षा परिषद विश्व के सर्वाधिक प्रभावी सशक्त एवं विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने में निर्णायक भूमिका निर्वाह करने वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए पामर एवं पार्किन्स ने इसे "संयुक्त राष्ट्र की कुंजी माना है।" [1]

संगठन :–

सुरक्षा परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग के रुप में की गयी है। [2]

सदस्यता :– सदस्यता के प्रकार (प्रकृति) के आधार पर दो वर्ग है :–

विशिष्ठ या स्थायी सदस्य :– विश्व राजनीति में महाशक्तियों की भूमिका एवं महत्व को देखते हुए 5 देशों 1.सोवियत संघ 2.संयुक्त राज्य अमेरिका, 3. फ्रांस, 4. ग्रेट ब्रिटेन 5.चीन को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया है।

सामान्य या अस्थायी सदस्य :– प्रारम्भ में इनकी संख्या 6 निर्धारित की गयी थी।

सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रुस की स्थायी सदस्यता स्वीकार की गयी है। (1992 में) साम्यवादी चीन को 1971 में सदस्यता प्राप्त होने पर स्थायी सदस्यता प्राप्त हो पायी अर्थात् साम्यवादी शासन की स्थापना के लगभग 20 वर्ष पश्चात् सभ्यवादी चीन को प्राप्त हुआ इस प्रकार प्रारम्भ में सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 निर्धारित की गयी थी (5 स्थायी तथा 6 अस्थायी) किन्तु ककालान्तर में 1965 में चार्टर के अनु.23 में संशोधन स्वीकार कर लिया गया तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करते हुए 6 से 10 कर दी गयी। 1945 के पश्चात अनेक राज्य स्वतंत्र हुए थे अतः अफ्रीका, एशिया एवं लेटिन अमेरिका के नवस्वतंत्र देशों का समुचित प्रतिनिधित्व की अपेक्षा पूरी करने के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो गया था।

इस प्रकार सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या 15 है (10 अस्थाई तथा 5 स्थायी) अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन दो वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है, किन्तु सुरक्षा परिषद के किसी सदस्य का 2 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने पर उसी सदस्य का तत्काल पुर्न निर्वाचन नहीं किया जा सकता।

सुरक्षा परिषद में वीटो की समस्या :–

संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा मतदान प्रणाली संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 27 का प्रावधान किया गया है। इस मतदान प्रणाली में ही निषेधाधिकार (वीटो) के प्रावधान अर्न्तनिहित है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य है। (10 अस्थायी तथा 5 स्थायी) निर्णय प्रक्रिया में प्रावधान करते हुए मामलों (प्रश्नों) को दो भागों में वर्गीकृत किया गया A.प्रक्रियात्मक मामले B.सारभूत (महत्वपूर्ण) मामले।

प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सहमति से ही किया जा सकता है। जबकि सारभूत मामलों में निर्णय 9 सदस्यों के बहुमत से ही होगा किन्तु 5 स्थायी सदस्यों की सकारात्मक सहमति आवश्यक होती है, अतएव कोई भी एक स्थायी सदस्य इन मामलों में अपना नकारात्मक निर्णय अथवा असहमति व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार प्राप्त होता है, और इस परिस्थिति में सुरक्षा परिषद निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है।

निषेधाधिकार का प्रयोगः–

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वीटों शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है किन्तु महत्वपूर्ण मामलों में 9 सदस्यों का समर्थन आवश्यक माना गया है। इन 9 सदस्यों में से 5 स्थाई सदस्यों की सकारात्मक सहमति आवश्यक मानी गयी है अर्थात् 5 स्थायी सदस्यों में से एक भी सदस्य असहमति व्यक्त करता है तो यह नकारात्मक असहमति सर्वप्रथम सोवियत संघ ने लेबनान और सीरिया से ब्रिटिश एवं फ्रांसिसी सैनाएं हटाये जाने के पश्न पर अमेरिका के सैनाएं शीघ्र न हटाये जाने के प्रस्ताव पर वीटो का उपयोग किया। **किन्तु** संयुक्त राष्ट्र संघ में महाशक्तियों को प्राप्त इस निषेधाधिकार का सर्वाधिक रूप से दुरूपयोग हुआ है जिससे विश्व समुदाय में न केवल हताशा का माहौल बना अपितु इस विश्व संगठन की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है। शीतयुद्ध के इस दौर में वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र महाशक्तियों के वैचारिक एवं कूटनीतिक संघर्ष का अखाड़ा बन कर रह गया और महाशक्तियों ने अपने राजनैतिक, आर्थिक, सैनिक व राजनयिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस व्यवस्था का जमकर दुरुपयोग किया है।

1945 से 1955 तक सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित राज्यों को सदस्य बनने से रोकने के लिए अनेक बार वीटो का उपयोग किया गया

सुरक्षा परिषद के विस्तार का प्रश्न और वीटो के लिए भारत की दावेदारी :–

सदस्य देशों से अपेक्षा की गयी थी कि अगर कोई देश विश्व शांति को भंग करने का प्रयत्न करेगा तो मिलकर रोकेगे लेकिन अपने प्राथमिक उद्देश्य में शीत युद्व के दौरान ही सुरक्षा परिषद् है असफल रही बाद में दाग हेमर शोल्ड ने शांति सेना (Peace Keeping Form) की नई युक्ति प्रदान की।

सुरक्षा परिषद की स्थापना 12 जनवरी 1946 को की गयी जबकि महासभा ने इसके अस्थाई सदस्यों का निर्वाचन किया। उस समय इसकी सदस्य संख्या प्रारम्भ में 11 रखी गयी थी किन्तु 1965 में इसकी सदस्य संख्या 11 से 15 करते हुए अस्थाई सदस्यों की संख्या 6 से 10 कर दी गयी। उस समय संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या 113 थी । अब संयुक्त राष्ट्र सदस्य संख्या में भारी वृद्धि हो गयी है (193) अतः सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए। भारत और अन्य 9 निर्गुट देशों ने प्रस्ताव महासभा में प्रस्तुत किया तत्पश्चात बुतरस घाली ने सदस्य देशों के विस्तार जानना चाहा भारत ने उनके पत्र का प्रत्युतर देते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद की पुर्नसंरचना की जानी चाहिए और इसे और अधिक साम्यपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान किया जावे साथ ही परामर्श दिया कि

1. स्थायी सदस्यों की संख्या 10 या 11 की जावे।
2. अस्थायी सदस्यों की संख्या 12 या 14 की जावे।

इस प्रकार सदस्य संख्या में वृद्धि करते हुए इसकी संख्या 22 से 25 की जावे तथा सुरक्षा परिषद में एशिया, लेटिन अमेरिका और अफ्रीका को अधिक प्रतिनिधित्व मिले।

Indias Quest for Veto:- स्थाई सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी :–

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार होना ही चाहिए साथ ही इसकी स्थाई सदस्यता और वीटो के अधिकार सम्पन्न देशों की संख्या में बढ़ोतरी भी की जानी चाहिए क्योंकि वीटो की व्यवस्था तो असमानतापूर्ण है । इसका वितरण भी समानता पूर्ण नही है। अभी 5 बड़े देशों अमेरिका,ब्रिटेन,फ्रांस,रुस,चीन को ही वीटो प्राप्त है।

1. चीन को छोड़कर सभी देश पूंजीवादी देश है।
2. चीन के अतिरिक्त समस्त देशों की सभ्यता पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है। 5 ही देश परमाणु सम्पन्न देश है।
3. चीन के अतिरिक्त सभी देशों में इसाई बहुल समाज है।
4. अतः विकास शील देशों को कोई प्रतिनिधि प्राप्त नही है सभी देश विकसित है।

यह कहना अतिश्योक्ति पूर्ण नही होगा कि वर्तमान वीटो व्यवस्था में इसाई बहुल एवं पश्चिमी जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाले देशों का वर्चस्व है और अफ्रीका, एशिया व लेटिन अमेरिका के देशों की उपेक्षा होती है अतः वीटो व्यवस्था का विस्तार होना ही चाहिए जब तक इस व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता इसमें एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका व विकास शील देशों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

विगत तीस वर्षों में भारत ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है अतीत में भी भारत की नीतियां आक्रामक नही रही है।

जर्मनी के प्रतिनिधि ने महासभा के 47 वें सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि अगर सुरक्षा परिषद में विस्तार किया जाता है तो जर्मनी को सदस्य बनना चाहिए। महासभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एडवार्डो फ्लेरीयो ने भारतीय दावा प्रस्तुत किया और युक्रेन ने भारत का समर्थन किया था। जापान व जर्मनी के दावों के पश्चात अंततः 3 अक्टूबर 1949 में भारत ने भी अपना औपचारिक दावा प्रस्तुत किया।

24 नवम्बर 1998 को महासभा ने प्रस्ताव पारित किया कि सदस्यता में वृद्धि के निर्णय को 2/3 बहुमत से स्वीकार किया जावे।

इस प्रकार जर्मनी, जापान, मिश्र, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका व आस्ट्रेलिया को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए।

भारत के पक्ष में समर्थनः–

1. जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के पश्चात दूसरा बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा है अतः दुनियां की 1/5 जनसंख्या भारत में निवास करती है।
2. भारत निर्गुट देशों का संस्थापक सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र का भी संस्थापक सदस्य है। भारत को प्रतिनिधित्व निर्गुट देशों के महत्व को स्वीकार करना होगा उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना होगा।
3. भारत की अर्थव्यवस्था विकास शील है और आर्थिक दृष्टि से त्वरित विकास कर रहा है। सूचना तकनीक/बायो तकनीक के क्षेत्र में अग्रणीय है और भविष्य में उज्ज्वल संभावनाएं है।
4. भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न देश है। भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। आज तक जितने स्थायी सदस्य देश है सभी परमाणु शक्ति सम्पन्न देश ही है। इस लिहाज से भी भारतीय पक्ष मजबूत है।
5. भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य देश है। विश्व शांति में आस्था ही नहीं रखता अपितु सदैव संयुक्त राष्ट्र अभियानो में निर्णायक भूमिका निर्वाह की है। उल्लेखनीय है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित किये गये 58 शांति रक्षक अभियानो में से 35 में भाग लिया है। इसमें कुछ दक्षिण अफ्रीका में चलाये गये थे। विभिन्न अभियानों में से 58 हजार से भी अधिक भारतीय सैनिको ने भाग लिया है। 100 से अधिक जवान विश्व शांति के लिए बलिदान किया है।
6. भारत सदैव से विश्व शांति का पुजारी रहा है। साम्राज्यवाद, नस्लभेद, उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रही है तथा विकासशील राज्यों के अधिकारों का पक्षपोषण करता रहा है, अतः तीसरी दुनियां का सर्वमान्य महत्वपूर्ण राष्ट्र है।

ब्राजील ने प्रस्ताव रखा कि जापान एवं जर्मनी के अतिरिक्त ब्राजील, मिश्र एवं भारत को स्थायी सदस्य तो बनाया जावे किन्तु वीटो का अधिकार नही हो। आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति एवं संघर्ष जगजाहिर है। भारत की स्थाई सदस्यता के दावे को विकासशील राष्ट्रों का भारी समर्थन प्राप्त तो है ही किन्तु भारत की दावेदारी को ब्रिटेन, फ्रांस, रुस ने भी समर्थन व्यक्त किया है।

7. वर्तमान सुरक्षा परिषद का संगठन असंतुलित है और पश्चिमी देशों के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है। चीन को छोड़कर बाकि समस्त देश उदार आर्थिक व्यवस्था (पूंजीवाद) पाश्चात्य मूल्यों में आस्था रखने वाले और योरोपीय देशों में से ही है। अमेरिका यद्यपि योरोपीय देश नहीं है फिर भी योरोप के कई मूल्यों को महत्व देने वाला है ध्वजवाहक है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। जापान, मिश्र व भारतीय प्रतिनिधित्व से अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों का महत्व बढ़ेगा ही ।

8. वर्तमान सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, एशिया एवं लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों का समुचित प्रतिनिधित्व ही नही है भारत इन देशों का सर्वमान्य प्रभावी नेता माना जाता है। अभी W.T.O. वार्ताओं में कृषि व्यवसाय पर यू.एस.ए. एवं विकसित देशों द्वारा भारी सबसिडी के मामले में भारतीय भूमिका से विकासशील देशों के पक्ष में कुछ उपयोगी दबाव बनाया जा सका । U.N. को भी आगामी वर्षों में राजनैतिक के स्थान पर आर्थिक आयाम पर बल देना होगा। आगामी एजेन्डे में आर्थिक प्रश्नों का प्रस्ताव रहेगा NIEO की स्थापना तो तभी होगी जब विकासशील देशों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, भारत की दावेदारी इस लिहाज से भी न्याय संगत है।

9. आतंकवाद आज विश्वव्यापी समस्या बन गया है और भारत स्वयं इस दंश को लम्बें समय से झेल रहा है। आतंकवाद को नष्ट करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता स्वयं सिद्ध है। इस नाते भी भारत की दावेदारी प्रबल है।

जनवरी 2023 को आस्ट्रीया में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि स्थायी सदस्यता का लाभ उठा रहे देश स्पष्ट तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सुधारों को देखने की जल्दी में नही है। यह एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण है क्योंकि अंततः संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता उनके अपने हित और प्रभावशीलता दांव पर है। [3] इसमें बदलाव होना चाहिए यह सिर्फ हमारी बात नही है।[4]

UNSC में सुधारः– भारत का दावाः कौन समर्थक : कौन विरोधी

संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों की सहमति के अभाव में भारत इस निकाय का स्थायी सदस्य नही बन सकता जिन पांच (5) बड़े देशों के पास वीटो शक्ति है वो अन्य देशों के प्रवेश को बाधित कर सकते है। ब्रिटेन, फ्रांस, रुस और अमेरिका भारतीय दावे के पक्ष में है लेकिन चीन एकमात्र महाशक्ति है जो भारतीय दावेदारी का विरोध करता है। इतना ही नही चीन के पिछलगू देश पाकिस्तान, इटल, उतरी कोरिया, तुर्किये जैसे देश भी भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के विरोधी है।

Group -4 के दावे का विरोध :– सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान की दावेदारी के विरोध का एक कारण यह भी है कि उनको (Big -5) लगता है कि इससे उनके प्रभाव में कमी आ जाएगी। नाईजीरिया और दक्षिण अफ्रीका की भी प्रबल दावेदारी है। वर्तमान के स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के विस्तार में सर्वाधिक बाधक है। वो यथास्थिति बनाये रखना चाहते है। अगर सदस्यता का विस्तार किया जाता है तो व्यापक और बहुआयामी होना चाहिए।

सुरक्षा परिषद अपने वर्तमान स्वरुप में भू–राजनीतिक यथार्थताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इससे इस महत्वपूर्ण संगठन की विश्वसनीयता एवं प्रभावकारिता दाव पर है।

भारत विश्वशांति के लिए सर्वाधिक सैनिक और पुलिस कार्मिक का योगदान देता रहा है। 2021 तक भारत ने दो लाख से अधिक शांति रक्षक सेवा में दे चुके है। [5]

इतना ही नहीं भारत के मंत्रीमंडल में " पंचामृत रणनीति " के तहत Non-fossil energy पर बल दिया, रिन्यूबल एनर्जी पर बल दिया और 2070 तक Zero carbon का लक्ष्य तय किया है।

(महाभारत में पंचामृत से तात्पर्य दूध, शहद, दही, शक्कर और घी से है।)

सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सर्वाधिक वितीय सहयोग करने वाला है बिना किसी प्रतिसाद की अपेक्षा किये है। भारत 40 मिलियन अमेरिकन डालर का वार्षिक सहयोग करता है।जो कि विश्वशांति अभियानों मानव अधिकारों और मानवीय सहायता के काम आते है। [6]

अभी हाल ही में अमेरिका ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है ओर भारतीय दावे का समर्थन किया है।

स्थायी नई सदस्यता के लिए अत्यन्त जटिल और लम्बी प्रक्रिया भी बाधक है।

193 सदस्य देशों के समूह को त्यागना अपरिपक्व निर्णय होगा। अभी भी विश्व संवाद ओर सहयोग में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अपने गंभीर प्रयत्नों से ही आतंकवाद के उद्गम केन्द्र पाकिस्तान को भारत अलग–अलग करने में सफल हुआ है।

भारत जलवायु परिवर्तन,निशास्त्रीकरण ,मानव अधिकारों विषयों पर सक्रिया रहकर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहा है अनेक बार सुरक्षा परिषद् का अस्थाई सदस्य चुना गया है।

चीन द्वारा ताईवान को परेशान करना रूस द्वारा यूकेन युद्व ईराक में यूएसए का सैनिक अभियान ओर धातक रसायनिक हथियार बरामद नहीं होना

अ. क्या विश्वशांति में सफल नहीं है।

ब. फिर इस संगठन की आवश्यकता क्या है।

स. Big Five का अखाडा बन गया है। अमेरिका रूस चीन अपना और मित्र देशों का संरक्षण करने के लिए अनावश्यक Veto का उपयोग करते रहें है।

तो इन देशों से विश्व की सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है। IMF ने भी कहा है कि एशिया उभरता हुआ क्षेत्र है तो फिर भारत बाहर क्यों ? We the people of united nation[7] जबकि विश्व की 1/5 जनसंख्या का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सुरक्षा परिषद में सुधार का समय आ गया है क्योंकि अब भारत का भी समय आ गया है। (अकबरूद्दीन ने कहा है)

1. अकबरूधीन ने कहा कि समय आ गया है कि भारत को इसकी सदस्ता की निरंतर के बारे में सोच नहीं हो गया ।

2. Dilip sinha ने कहा Demography has changed Power Have not changed Big 5 are same. china is still big peace keeping contributor Four others are not

भारत एक क्षेत्रीय शक्ति है, विश्व शक्ति नही। [8]

शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात स्थायी सदस्य देश सहयोग करते है लेकिन जहां कोई स्थायी सदस्य देश स्वयं आक्रमणकारी हो तो सुरक्षा परिषद निष्प्रभावी हो जाती है।[9]

जहां शीत युद्व समाप्ति के पश्चात् ही स्थाई सदस्य देश सहयोग करते है यहॉ भी कोई स्थायी सदस्य देश स्वयं आक्रमणकारी होतो सुरक्षा परिषद् निष्प्रभावी हो जाती है।

It is hard nut but hard nut can be Cracked S. Jay Shankar

सुधारों को इतने लम्बें समय तक रोका गया है, अभी और वक्त लगेगा इसीलिए 2028–29 के लिए भारत की अस्थाई सदस्यता के लिए दावेदारी एस जयशंकर ने की है।

संदर्भ :–

1. International relations : Palmer and perkins Page 314-15
2. संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद
3. अमर उजाला, नई दिल्ली 4 जनवरी 2023
4. अमर उजाला, नई दिल्ली 4 जनवरी 2023
5. Times of india March 2, 2023 (Priyanka Deo)
6. Times of india March 2, 2023 (Priyanka Deo)
7. U.N. charter Article -1
8. Times of india March 2, 2023 (Dilip Sinha)
9. Times of india March 2, 2023 (Dilip Sinha)